

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक—प. 9(।)राज-6 / 2007

जयपुर, दिनांक:—22 / 7 / 2010

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के भूमिविहीन सभी व्यक्तियों को कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिये वेस्ट लैण्ड का आवंटन किये जाने के संबंध में चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं भूमिविहीन व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनार्थ राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अनुसार आवंटन किया जाता है एवं औद्योगिक उपयोग के लिये राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 में प्रावधान है। Rajasthan Land Revenue (Allotment of waste land for bio-fuel plantation and bio-fuel based industrial and processing unit) Rules, 2007 के नियमों के नियम 3 के अनुसार एस.जी.एस.वाय (SGSY) के अन्तर्गत गठित बी0पी0एल परिवारों के स्वयं सहायता समूह भूमि आवंटन का पात्र माना गया है। अतः निर्देशानुसार लेख है कि उक्त नियमों के अन्तर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के भूमि विहिन सभी व्यक्तियों को कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिये नियमानुसार बजार भूमि का आवंटन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार आवंटन किया जावें एवं Rajasthan Land Revenue (Allotment of waste land for bio-fuel plantation and bio-fuel based industrial and processing unit) Rules, 2007 के नियमों के नियम 3 के अनुसार एस.जी.एस.वाय (SGSY) के अन्तर्गत गठित बी0पी0एल परिवारों के स्वयं सहायता समूह को भूमि आवंटन को प्राथमिकता के आधार पर करवाने का कष्ट करें। जहां भूमि आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की अधिकारिता है वहां पर नियमों के अन्तर्गत अपनी अभिशंषा सहित प्रस्ताव राज्य सरकार को यथीशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

उप शासन सचिव २५८